निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 माघ 1937 (श0)

(सं0 पटना 82) पटना, वृहस्पतिवार, 28 जनवरी 2016

विधि विभाग

———

अधिसूचनाएं

28 जनवरी 2016

सं० एल0जी0-01-01/2016/03 लेजः—भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के अधीन बिहार-राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2016 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अध्यादेश, 2016

[बिहार अध्यादेश संख्या 1, 2016]

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

प्रस्तावना– चूँकि, बिहार राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है,

और, चूँकि, बिहार–राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) का, इसमें आगे वर्णित रीति से, संशोधन करने के लिए उनके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। –(1) यह अध्यादेश बिहार मूल्यवर्द्धित कर अघ्यादेश, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. अधिनियम 27, 2005 की धारा–3क में संशोधन।– उक्त अधिनियम, 2005 की धारा 3क की उप–धारा (1) में प्रयुक्त शब्द ''बीस प्रतिशत'' शब्द ''तीस प्रतिशत'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

3. अधिनियम 27, 2005 की धारा–14 में संशोधन।– उक्त अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उप–धारा (1) के खंड–(घ) में प्रयुक्त शब्द ''साढ़े तेरह प्रतिशत'' शब्द ''साढ़े चौदह प्रतिशत'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

4. अधिनियम 27, 2005 की धारा–70 में संशोधन– उक्त अधिनियम, 2005 की धारा 70 में जहाँ–जहाँ शब्द ''नब्बे दिन'' प्रयुक्त हैं, को शब्द ''साठ दिन'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ह0) राम नाथ कोविन्द,
बिहार–राज्यपाल।

पटना ।
दिनांकः 28 जनवरी 2016

भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मैने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है ।

(ह0) राम नाथ कोविन्द,
बिहार–राज्यपाल।

पटना ।
दिनांकः 28 जनवरी 2016

28 जनवरी 2016

सं० एल0जी0-01-01/2016/04 लेजः—बिहार–राज्यपाल द्वारा 28 जनवरी 2016 को प्रख्यापित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अध्यादेश, 2016 (बिहार अध्यादेश संख्या 1, 2016) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

BIHAR VALUE ADDED TAX ORDINANCE 2016
[Bihar Ordinance No. 1, 2016]
AN
ORDINANCE
TO AMEND THE BIHAR VALUE ADDED TAX ACT, 2005 (ACT 27, 2005)

Preamble - WHEREAS, The Legislature of the State of Bihar is not in session;

AND, WHEREAS, the Governor of Bihar is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to amend the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (ACT 27, 2005),in the manner hereinafter appearing.

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This ordinance may be called the Bihar Value Added Tax Ordinance, 2016

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of section-3A of Act 27, 2005- The words "twenty percentum" used in sub-section (1) of section-3A of the said Act, 2005 shall be substituted by the words "thirty percentum."

3. Amendment of section-14 of Act 27, 2005- The words "thirteen and a-half percent" used in clause (d) of sub-section (1) of section-14 of the said Act, 2005 shall be substituted by the words "fourteen and a-half percent."

4. Amendment of section-70 of Act 27, 2005- The words "ninety days" used anywhere in section-70 of the said Act, 2005 shall be substituted by the words "sixty days."

(Sd.) Ram Nath Kovind,
Governor of Bihar.

Patna:
Dated: 28th January 2016

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 82-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in